संख्याः 59(1)/77-6-11-41टैक्स/01

प्रेषक,

अनामिका सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उद्योग निदेशालय,
कानपुरं।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ 11 जनवरी, 2011

विषयः औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन विषयक शासनादेश संख्या-2974/77-6-2003-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.2003 के साथ संलग्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली संख्या-3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.03 के नियम 5(13) में संशोधन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली संख्या -3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.03 यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं। अनुरोध है कि कृपया संलग्न नियमावली संख्या- 59/77-6-06-41टैक्स/01 दिनांक 11 जनवरी, 2011 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- शासनादेश संख्या-2974/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 06.11.2003 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
2- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
3- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी माल एवेन्यू, लखनऊ।
4- आयुक्त, व्यापार कर गोमती नगर, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
7- कर निबन्धन अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनामिका सिंह)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या- 59/77-6-11-41टैक्स/01
लखनऊः दिनांक 11 जनवरी, 2011

''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 162 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 जो शासनादेश संख्या - 3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6 नवम्बर, 2003 द्वारा बनाई गई थी, यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

<u>औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (चतुर्थ संशोधन), 2011</u>

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ 1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (चतुर्थ संशोधन), 2011 कही जायेगी।
(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- **नियम-5(13) का संशोधन** औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003 के नियम-5(13) को निम्नवत् संशोधित कर दिया गया है।

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
''5(13)- पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों का पिकप/यू0पी0एफ0सी0 के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेगी जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो। पिकप/यू0पू0एफ0सी0 युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुए द्वितीय जार्च के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा पर्सनल बाण्ड मांग सकते हैं।''	''5(13)- पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों का पिकप/यू0पी0एफ0सी0 के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेगी जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो। पिकप/यू0पी0एफ0सी0 युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुए द्वितीय चार्ज के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा पर्सनल बाण्ड मांग सकते हैं।'' उक्त के अतिरिक्त पात्र इकाई द्वारा प्रतिभूति की कमी को निम्नवत् पूर्ण किया जा सकता हैः- अ) इकाई द्वारा प्रतिभूति की कमी को कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में भूमि/भवन आदि देकर वांछित प्रतिभूति ऋण अनुपात पूर्ण कर लिया जाये। तथा ब) इकाई द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक से ब्याजमुक्त ऋण के समतुल्य बैंक गारण्टी (सम्पूर्ण ऋण अदायगी की अवधि के लिए)

आज्ञा से,

(वी0एन0 गर्ग)
प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।